रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 2009/आश्विन 4, 1931
No. 186] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2009/ASVINA 4, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2009

सं. एल-7/145(160)/2008-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सार्मथ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विस्तार तथा लागू होना** : ये विनियम प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के फीस तथा प्रभारों का अवधारण करने के लिए लागू होंगे ।

3. **परिभाषाएं** : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित तथा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है ;

(3) "संपरीक्षक" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 या धारा 233ख या धारा 219 के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अर्हित ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है;

(4) "क्रेता" से मध्यकालिक या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से ऊर्जा क्रय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(5) "पूंजी लागत" से इन विनयमों के विनिमय 6 में यथा परिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है;

(6) "पूंजी व्यय (केपेक्स) योजना" से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के सृजन के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत कए जाने वाली योजनाबद्ध पूंजी प्रकृति का व्यय अभिप्रेत है

(7) "प्रभार" से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा या ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दी गई संवाओं के लिए इस निमित्त संगृहीत किए जाने वाले आवर्ती और मासिक संदाय अभिप्रेत है;

(8) "आयोग" से अधिनियम की धरा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(9) "संविदागत क्षमता" से दीर्घकालिक या मध्यकालिक पहुंच के माध्यम से व्यवस्थित क्षमता अभिप्रेत है;

(10) "नियंत्रण अवधि" से 1.4.2009 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(11) "दिन" से 00 घंटे से आरंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;

(12) "उपगत व्यय" से उपयोगी आस्ति के सृजन या अध्यपेक्षा के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ऐसी निधि चाहे ईक्विटी या दोनों हो, तथा नकद में संदत्त या नकद के समतुल्य निधि

अभिप्रेत है तथा जिसमें ऐसी प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए कोई संदाय नहीं किया गया है;

(13) "फीस" से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या इस निमित्त दी गई सेवाओं के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा रजिष्ट्रीकरण, सदस्यता या कोई अन्य मदें जो, आयोग द्वार समय-समय पर, विनिर्दिष्ट की जाएं, के मदें संगृहीत एक बार या वार्षिक नियत संदाय अभिप्रेत है;

(14) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है,

(15) "बाजार प्रचालन कृत्य" में अनुसूचीकरण, प्रेषण, मीटरिंग, डाटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापक, परेषण हानि संगणना के कृत्य तथा प्रभाजन, पूल लेखा का प्रचालन तथा संकुचन प्रभार लेखा के कृत्य प्रशासनिक सहायक सेवाएं, जानकारी प्रसार तथा कोई अन्य कृत्य सम्मिलित हैं जो विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विविआ द्वारा बनाए गए विनियमों तथा आदेशों द्वारा आर एडडीसी/एनएलडी सी द्वारा समनुदेशित किए जाएं;

(16) "राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र" या "एनएलडीसी" से अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

(17) "पूल लेखा" से अनुसूचित विनियम (यूआई लेखा) या रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंज (रिएक्टिव ऊर्जा लेखा) या अन्य लेखाओं के बारे में संदाय के लिए प्रादेशिक लेखा अभिप्रेत है जिसे समय-समय पर आरएलडीसी/एनएलडीसी द्वारा के वि.वि.आ. के विनियमों या निदेशों के अनुसार प्रचालित किए जाए;

(18) "प्रदेश" से अधिनियम की धारा 25 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई एक प्रलेखित प्रदेश अभिप्रेत है;

(19) "प्रादेशिक ईकाई" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है;

(20) "प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र" या आएलडीसी से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

(21) "स्कीम" से यथास्थिति, प्रादेशक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय प्रेषण केन्द्र तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के निगमित कार्यालय से सहबद्ध और उसपर संस्थापित सुविधांए तथा उपकरण अभिप्रेत हैं और सम्मिलित है किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं, अर्थातः-

(i) कंप्यूटर प्रणाली, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर,

(ii) गौण ऊर्जा प्रदाय प्रणाली जिसमें अबाधित ऊर्जा प्रदाय डीजल जेनेरेटिंग सेट तथा डीसी ऊर्जा प्रणाली भी सम्मिलित है,

(iii) साधारण टेलीफोन, फैक्स तथा अन्य आफ लाइन संचार प्रणाली,

(iv) अन्य अवसंरचना प्रसुविधाएं जैसे वातानुकूलित,अग्निशामक तथा भवन का संनिर्माण तथा नवीकरण,

(v) बेहतर प्रणाली प्रचालन जैसे साइक्रोफेजर्स, प्रणाली संरक्षण स्कीम के लिए आर एंड डी परियोजनाओं तथा पाइरट परियोजनाओं के लिए कोई इनोवेटिव स्कीमें,

(vi) आर एल डी सी के लिए बैक-अप नियंत्रण केन्द्र,

(vii) निगरानी कैमरा प्रणाली, तथा

(viii) साइबर सुरक्षा प्रणाली ।

(22) "विक्रेता" से मध्यकालिक या दीर्घकालिक माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(23) "ऊर्जा प्रचाललन प्रणाली" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 26 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन में लगी हुई है;

(24) "प्रणाली प्रचालन कृत्य" में ग्रिड प्रचालन की मानीटरिंग, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा उसपर नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण तथा प्रेषण के लिए रियल-टाइम प्रचालन, ग्रिड बाधाओं का अनुसरण करने के लिए प्रणाली प्रतिस्थापन, प्रणाली प्रचालन, संकुयन प्रबंधन, ब्लैक आरंभ समन्वयन से संबंधित आंकड़े का संकलन तथा उन्हें प्रस्तुत करना तथा कोई अन्य कृत्य जो विद्युत अधिनियम द्वारा तथा के वि.वि.आ. के विनियमों तथा आदेशों द्वारा आरएलडीसी को सौंपे जाएं;

(25) "उपयोक्ता" से यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता, क्रेता तथा अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के अंतर-राज्यिक पारेषण नेटवर्क या सहबद्ध प्रसुविधाओं तथा सेवाओं का उपयोग करता है;

(26) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(27) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों को, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया है किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

अध्याय-2

फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन तथा प्रक्रिया तथा एलडीसी विकास निधि

4. फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन: (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी नियंत्रण अवधि के लिए फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए उपगत पूंजी व्यय तथा संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तथा सेपेक्स योजना के आधार पर नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित आधार पर इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्ररूपों में प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए पृथक् रूप से आवेदन करेगी ।

(2) आवेदन के साथ, अन्य बातों के अलावा, विनिधान के लिए निधियों के स्रोत, उपदर्शित की जाने वाली नियंत्रण अवधि के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र हेतु सेपेक्स योजना संलग्न होगी । आयोग सेपेक्स योजना की प्रज्ञावान जांच करेगा तथा फीस तथा प्रभारों के अवधारण के साथ उसका अनुमोदन करेगा ।

(3) आवेदन करने से पूर्व, आवेदक प्रत्येक उपयोक्ता को आवेदन की प्रति की तामील करेगा ।

(4) आवेदक आयोग को आवेदक करने से पूर्व, अपनी वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को पोस्ट करेगा तथा उसे आयोग द्वारा निपटान किए जाने तक वेबसाइट पर डालेगा ।

(5) आवेदन करने से पूर्व, आवेदक यह उपदर्शित करेगा कि प्रत्येक उपयोक्ता को पूर्ण आवेदन की प्रति की तामील कर दी है तथा आवेदन को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया है, उस वेबसाइट का नाम बताएगा जिस पर आवेदन को डाला गया है ।

(6) आवेदन, ऐसे व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा सत्यापित होगा जो आवेदन में दिए गए तथ्यों से परिचित हो।

(7) आवेदक, आवेदन करने के पश्चात् सात दिन के भीतर, कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में इन विनियमों के परिशिष्ट -2 में दिए गए प्ररूप में आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा, जो एक अंग्रेजी भाषा में होगा तथा दूसरी हिन्दी भाषा में होगा तथा जिसका प्रचालन उस

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होगा, जहां उपयोक्ता अवस्थित हो, वह दैनिक समाचारपत्र के रूप में उसी भाषा में होगा जिसमें आवेदन की सूचना प्रकाशित की जाती है ।

5. **वार्षिक फीस तथा प्रचालन प्रभारों का ट्रूइंग-अप:** (1) आयोग 31.3.2014 तक वसूली गई तथा ट्रूइंग-अप के समय प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार की गई फीस तथा प्रभारों के लिए नियंत्रण अवधि की समाप्ति के पश्चात की अवधि के लिए फाइल की गई फीस प्रभारों का अवधारण करने के लिए आवेदन के साथ ट्रूइंग-अप अभ्यास करेगा ।

(2) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी 31.10.2014 तक ट्रूइंगअप अभ्यास करने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में संलग्न प्ररूपों में आवेदन करेगा ।

(3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए उपगत पूंजी व्यय के ब्यौरे जिसमें अतिरिक्त पूंजी व्यय, वित्त निधियन का स्रोत, मानव संसाधन व्यय, प्रचालन तथा रखरखाव व्यय आदि सम्मिलित है, जो संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित तथा प्रमाणित होंगे, ट्रूइंगअप के आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी ।

(4) ट्रूइंगअप करने के पश्चात्, जहां इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से अधिक टैरिफ वसूला गया हो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार वसूली गई अधिक रकम को क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम उधार दर के समान दर पर साधारण ब्याज के साथ, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को वापस करेंगे ।

(5) जहां ट्रूइंग-अप के पश्चात इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ वसूला गया टैरिफ से कम है वहां, यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, कम वसूली गई रकम को क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम उधार दर के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ, यथास्थिति, फायदाग्राही या पारेषण ग्राहकों से वसूलेगा ।

(6) क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम उधार दर के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ कम वसूली गई या अधिक वसूली गई रकम को ट्रूइंग-

अप अभ्यास करने के पश्चात, आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्रारंभ होने वाली छह बराबर मासिक किस्तों में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूला या वापस किया जाएगा ।

6. **पूंजी लागतः** (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए पूंजी लागत में नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत व्यय या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित व्यय भी सम्मिलित होगा, जिसमें संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) तथा वित्तीय प्रभार, संनिर्माण के दौरान विदेशी मुद्रा दर फेरफार (फेरा) के मद्दे कोई लाभ या हानि तथा सेपेक्स योजना की दृष्टि से संनिर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय भी सम्मलित हैः

परन्तु यह कि उपयुक्त आस्तियों का मूल्य पूंजी लागत का भाग नहीं होगा ।

(2) प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत प्रभारों के अवधारण के लिए आधार होगाः

परन्तु यह कि प्रज्ञावान जांच में पूंजी व्यय, वित्तीय योजना आईडीसी, आईईडीसी की युक्तियुक्ता, दक्ष तकनीकी का उपयोग, लागत ओवर-रन तथा समय ओवर-रन तथा ऐसे अन्य मामले सम्मिलित होंगे, जो आयोग समुचित समझेः

परन्तु यह और नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित सेपेक्स योजना के साथ अंतरण की तारीख को क्रमिक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के लेखा बहियों में उपसंजात होने वाली पूंजी लागत प्रभारों के अवधारण के लिए आधार होगी ।

7. **अतिरिक्त पूंजीकरणः** (1) प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय को आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार स्वीकृत किया जा सकेलः

परन्तु यह कि औजार तथा रस्से, फर्नीचर, वातानुकूलकों, बोल्टेज स्टेबलाइजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, फंखों, कपड़ा धोने की मशीनों, उष्मा परिवर्तकों, गद्दों, कालीन आदि जैसे छोटी मदों या आस्तियों को अर्जित करने पर हुए व्यय पर जो वाणिज्यिक प्रचलन की तारीख के

पश्चात् जानकारी में लाया गया हो, फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

8. **ऋण-ईक्विटी अनुपातः** (1) अंतरण की तारीख को लेखा-बहियों में उपसंजात वास्तविक ऋण-इक्विटी अनुपात पर राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आरंभिक पूंजी लागत के लिए विचार किया जाएगा ।

(2) अंतरण की तारीख को या उसके पश्चात किए गए विनिधान के लिए यदि वास्तविक रूप से लगाई गई ईक्विटी पूंजी लागत के 30% की अधिक है तो 30% की अधिक ईक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगाः

परन्तु यह कि जहां वास्तविक रूप से लगाइ गई ईक्विटी पूंजी लागत के 30% से कम है, वहां वास्तविक ईक्विटी को प्रभारों के अवधारण के लिए समझा जाएगाः

परन्तु यह और कि विदेशी मुद्रा में निवेशित ईक्विटी को प्रत्येक विनिवेश की तारीख को भारतीय रूपए में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा अपनी खुली आरक्षिति से सृजित आंतरिक संसाधनों के शेयर पूंजी तथा विनिधान जारी करते समय कोई प्रीमियम, यदि कोई हो, प्रोदभूत किया जाता है तो पूंजी व्यय के निधियन के लिए तथा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित एलडीसी विकास निधि से सृजित निधियों को रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना करने के प्रयोजन के लिए समादत्त पूंजी के रूप में माना जाएगा, परन्तु ऐसी प्रीमियम रकम तथा आंतरिक संसाधनों का वास्तव रूप में उपयोग पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता हो ।

9. **एलडीसी विकास निधिः** (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी "एलडीसी विकास निधि" नामक निधि को सृजित तथा बनाए रखेगी ।

(2) रिटर्न आन ईक्विटी के मद्दे प्रभार, ऋण पर ब्याज, अवक्षयण तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र की अन्य आय, जैसे रजिस्ट्रीकरण फीस, आवेदन फीस, अल्प-कालिक अवधि पंहुच प्रभार आदि एलडीसी विकास निधि में जमा किए जाएंगे ।

(3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ऋण प्रतिसंदाय, ब्याज तथा लाभांश संदाय के रूप में उदभूत पूंजी की सर्विसिंग, आस्ति सृजन में अनुबद्ध ईक्विटी भाग को पूरा करने तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए मार्जिन धन और अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के निधियन के लिए एलडीसी विकास में जमा धन का उपयोग करने के लिए हकदार होगी ।

(4) एलडीसी विकास निधि का उपयोग किसी अन्य राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जाएगा ।

(5) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा एलडीसी विकास निधि में जमा धन में से सृजित किसी आस्ति पर रिटर्न आन ईक्विटी तथा ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(6) आयोग प्रत्येक वर्ष एलडीसी विकास निधि का पुनर्विलोकन करेगी ।

अध्याय 3

वार्षिक प्रभारों तथा एनएलडीसी प्रभारों की संगणना

10. **वार्षिक प्रभारः** प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए वार्षिक प्रभारों का अवधारण पृथक् रूप से किया जाष्ट्र । एनएलडीसी के वार्षिक प्रभारों को विनियम 18 के खंड 3 में तथा कथित आधार पर आरलडीसी को प्रभाजित किया जाएगा । आरएलडीसी के वार्षिक प्रभारों का संग्रहण प्रणाली प्रचालन प्रभारों तथा बाजार प्रचालन प्रभारों के रूप में किया जाएगा ।

11. **वार्षिक प्रभारों के संघटकः** वार्षिक प्रभार निम्नलिखित संघटकों से मिलकर बनेंगे, अर्थात् :

(क) रिटर्न आन ईक्विटी;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज;

(ग) अवक्षयण;

(घ) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे मानव संसाधन खर्चों को

छोड़कर;

(ड.) मानव संसाधन खर्चे;

(च) एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चे, तथा

(छ) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज ।

12. **रिटर्न आन ईक्विटीः** (1) रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार अवधारित ईक्विटी आधार पर रूपए में की जाएगी ।

(2) रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना इस विनियम के उपखंड (3) के अनुसार कुल योग किए जाने वाले 16% के आधार पर पूर्व-कर पर की जाएगी ।

(3) रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना, ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए प्रसामान्य कर दर के साथ आधार दर का योग करके की जाएगाः

परन्तु यह कि नियंत्रण अवधि के दौरान क्रमिक वर्ष के वित्त अधिनियम के संसुगत उपबंधों के आधार पर, ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वास्तविक कर दर की बाबत रिटर्न आन ईक्विटी को नियंत्रण अवधि की समाप्त पर ट्रइंग-अप किया जाएगा ।

(4) रिटर्न आन ईक्विटी की दर तीन दशमलव के लिए पूर्णांकित की जाएगी तथा निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी:-

पूर्व-कर रिटर्न आन ईक्विटी की दर= आधार दर (1.t)

जहां t उपखंड (3) के अनुसार लागू कर दर है ।

13. **ऋण पूंजी पर ब्याजः** (1) विनियम 8 के अनुसार अवधारित ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में विचार किया जाएगा ।

(2) 1.4.2009 को बकाया मानकीय ऋण को सकल मानकीय ऋण से 31.3.2009 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय में कटौती करके तय किया जाएगा ।

(3) नियंत्रण अवधि के अपने-अपने वर्ष के लिए प्रतिसंदाय को उस वर्ष के लिए अनुज्ञात अवक्षयण के समान समझा जाएगा ।

(4) ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर, क्रमिक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को लागू वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर संगणित ब्याज की भारित औसत दर होगी:

परन्तु यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए वास्तविक ऋण नहीं है, किंतु मानकीय ऋण अभी भी बकाया है, तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि राष्ट्रीय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो ऊर्जा प्रणाली संचालन कंपनी की ब्याज की भारित औसत दर पर पूर्णतः विचार किया जाएगा ।

(5) ऋण पर ब्याज की संगणना ब्याज की भारित औसत दर को लागू करके वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर की जाएगी ।

(6) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ब्याज पर कुल बचत के परिणामस्वरूप ऋण के पुनः वित्त का हर संभव प्रयास करेंगे जिससे उसका कुल फायदा फायदाग्राहियों को मिल सके तथा

ऐसे पुर्नवित्त से सहबद्ध लागत का वहन फायदाग्राहियों द्वारा किया जाएगा तथा शुद्ध लाभ का 2:1 के अनुपात में,यथास्थिति, उपयोक्ता तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के बीच विभाजित किया जाएगा ।

(7) ऋण के निबंधन तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुर्नवित्त की तारीख से दर्शित किया जाएगा ।

(8) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार विवाद के निपटान के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 जिसमें उसकी कानूनी अधिनयमिति भी है, के अनुसार आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यह कि उपयोक्ता ऋण के पुर्नवित्त से उदभूत किसीविवाद के लंबित होने के दौरान उपयोक्ता तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दावों पर ब्याज के मद्दे किसी भी संदाय को नहीं रोकेंगे ।

14. **अवक्षयण:** (1) अवयक्षण के प्रयोजन के लिए आधार मूल्य आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा ।

(2) आस्ति से साल्वेज मूल्य पर (आईटी उपस्कर तथा साफ्टवेयर को छोड़कर) 10% के रूप में विचार किया जाएगा तथा आस्ति की पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक अवक्षयण अनुज्ञात किया जाएगा । आई टी उपस्करों तथा साफ्टवेयरों के साल्वेज मूल्य को शून्य समझा जाएगा तथा आस्ति के 100% मूल्य को अवक्षणीय माना जाएगा ।

(3) भूमि अवक्षणीय आस्ति नहीं है तथा इसकी लागत को आस्ति में पूंजी लागत के अवक्षणीय मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित किया जाएगा ।

(4) अवक्षयण की संगणना स्ट्रेट लाइन पद्धति तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से की जाएगी ।

(5) पूर्ण रूप से अवक्षियित आस्तियों को पृथक् रूप से दर्शित किया जाएगा ।

(6) उन आस्तियों, जो प्रयुक्त नहीं हैं या अप्रचलित घोषित किए गए हैं, के मूल्य को अवक्षयण की संगणना के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से लिया जाएगा ।

(7) अंतरण की तारीख को अतिशेष अवक्षणीय मूल्य को क्रमिक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए अंतरण की तारीख को ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी की लेखाबहियों में प्रविष्ट होने वाली आस्तियों के कुल अवक्षणीय मूल्य से संचयी अवक्षयण में कटौती करके तय किया जाएगा ।

15. **प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर)**: (1) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर) संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए वास्तविक प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किया जाएगा । ओ एंड एम खर्चे आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों, संदाय, स्टाक में हानि, पूर्व अवधि समायोजन, दावों तथा अग्रिम अपलिखित, प्रावधानों आदि, यदि कोई हो, को छोड़कर प्रसामान्यीकृत किए जाएंगे ।

(2) वर्ष 2004-05 2008-09 के लिए प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् प्रसामान्यीकृत प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में क्रमशः 2008-09 की स्तर पर प्रसामान्यीकृत प्रचालन तथा रखरखाव तथा तत्पश्चात 2008-09 पर 2004-05 से 2008-2009 के लिए प्रसामान्यीकृत औसत प्रचालन तथा रख-रखाव खर्चों को औसतन तक लाने के लिए 5.17% की दर से वृद्धि की जाएगी । वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए औसत प्रसामान्यीकृत प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में 2008-09 की कीमत स्तर पर 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी ।

(3) टैरिफ अवधि के पश्चातवर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में प्रति वर्ष 5.72% की दर पर और वृद्धि की जाएगी ।

16. **मानव संसाधन खर्चे**: (1) मानव संसाधन खर्चे संपरीक्षित तुलनपत्र पर आधारित वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए वास्तविक मानव संसाधन खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किया

जाएगा । मानव संसाधन खर्चों को आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात प्रसामान्य मानव संसाधन खर्चे, एम्स-ग्रेशिया, वीआरएस खर्चों, पूर्व अवधि समायोजन, दावों तथा अपलिखित अग्रिमों, उपबंधों, यदि कोई हो, को छोड़कर प्रसामान्यीकृत किया जाएगा ।

(2) वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में क्रमशः 2008-09 के स्तर पर प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों तथा तत्पश्चात 2008-09 पर 2004-05 से 2008-2009 के लिए प्रसामान्यीकृत औसत मानव संसाधन खर्चों तक लाने के लिए औसतन 5.17% की दर से वृद्धि की जाएगी । वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए औसत प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में 2008-09 की कीमत स्तर पर 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी:

परन्तु यह कि वर्ष 2009-10 के लिए मानव संसाधन खर्चों को वर्ष 2009-10 के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारी लागत में 50% वृद्धि पर विचार करते हुए और सुव्यवस्थित किया जाएगा ।

(3) वर्ष 2009-10 के लिए मानव संसाधन खर्चों में टैरिफ अवधि के पश्चातवर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चों को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 5.72% की दर पर और वृद्धि की जाएगी ।

17. **कार्यकरण पूंजी पर ब्याज:** (1) कार्यकरण पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(i) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे एक मास के लिए मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर;

(ii) एक मास के लिए मानव संसाधन खर्चे;

(iii) एक मास के लिए एचएलडीसी प्रभार; आदि

(iv) आयोग द्वारा यथानुमादित प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभार के दो मास के समतुल्य प्राप्य ।

(2) कार्यकरण पूंजीकरण ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथा 1.4.2009 को भारतीय स्टेट बैंक की अल्प-कालिक प्राइम उधार दर के बराबर होगी ।

(3) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज इस बात के होते हुए भी मानकीय आधार पर संदेय होगा कि ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ने किसी बाहरी अभिकरण के कार्यकरण पूंजी के लिए कोई ऋण नहीं लिया है ।

18. **एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चे:** (1) एक सीमा तक लागू एनएलडीसी प्रभार की संगणना कार्यकरण पूंजी पर ब्याज के सिवाय, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के वार्षिक प्रभारों की संगणना करने के लिए विनिर्दिष्ट पद्धति का अनुसरण करके की जाएगी ।

(2) उपगत वास्तविक खर्चों के अनुसार संगणित कारपोरेट कार्यालय खर्चे, प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(3) अपने-अपने क्षेत्रों में की गई मांग के आधार पर एनएलडीसी तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चो को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रभाजित किया जाएगा ।

अध्याय-4

फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण

19. **संग्रहणः** (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इन विनियमों के अधीन यथा अवधारित फीसों तथा प्रभारों को संगृहीत करेगी ।

(2) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट उपयोक्ताओं तथा पावर एक्सचेंजों से रजिस्टीकरण फीस तथा प्रभारों को उद्गृहीत करने के लिए हकदार होगी ।

(3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी किसी अन्य विनियम में यथा विनिर्दिष्ट उपयोक्ताओं तथा पावर एक्सचेंजों को दी जाने वाली किसी अन्य सेवाओं के लिए फीस तथा प्रभारों को उद्गृहीत तथा संगृहीत करने की हकदार होगी ।

20. **प्रणाली प्रचालन कृत्य तथा बाजार प्रचालन कृत्य के लिए संघटकों का आबंटन तथा प्रभाजनः** (1) प्रणाली प्रचालन कृत्य के लिए वार्षिक प्रभारों में वार्षिक प्रभारों का 80% समाविष्ट होगा ।

(2) बाजार प्रचालन के लिए वार्षिक प्रभारों में वार्षिक प्रभारों का शेष 20% समाविष्ट होगा ।

(3) प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभारों के लिए वार्षिक प्रभारों के आबंटन के अनुपात का पुनर्विलोकन आयोग द्वारा, समय-समय पर, किया जाएगा ।

21. **एसओसी तथा एमओसी का अवधारणः** प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभारों का अवधारण इन विनियमों के विनियम 20 में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक प्रभारों के विभिन्न संघटकों के आंबटन और/या प्रभाजन रकम को जोड़कर किया जाएगा ।

22. **एसओसी का संग्रहणः** (1) प्रणाली प्रभारों को नीचे दिए गए संनियमों के अनुसार उपयोक्ताओं से संगृहीत किया जाएगाः-

(i) अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी : प्रणाली प्रचालन प्रभारों का 10%

(ii) उत्पादन केन्द्र तथा विक्रेता : प्रणाली प्रचालन प्रभारों का 45%

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा क्रेता : प्रणाली प्रचालन प्रभारों का 45%

(2) प्रणाली प्रचालन प्रभार अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों पर मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन को उनके स्वामित्वाधीन लाइन के सीवीटी- किमी के आधार पर उद्गृहीत किए जाएंगे ।

(3) उत्पादन कंपनी तथा विक्रेता से प्रणाली प्रचालन प्रभार मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन में को, यथास्थिति, उनकी संस्थापित क्षमता या संविदागत क्षमता के अनुपात में संगृहीत किए जाएंगे ।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा क्रेताओं से प्रणाली प्रचालन प्रभार मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन को, यथास्थिति, अभी आबंटन तथा संविदागत क्षमताओं के योग के अनुपात में संगृहीत किए जाएंगे:

परन्तु यह कि अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य में इस प्रयोजन के लिए नोडल अभिकरण यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने के लिए आपस में सहमत होंगे । अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की ओर से राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से प्रणाली प्रचालन प्रभार एकत्रित करेंगे तथा उन्हें संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में जमा किया जाएगा ।

23. **बाजार प्रचालन प्रभारों का संग्रहण:** बाजार प्रचालन प्रभार अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के सिवाय सभी उपयोक्ताओं से समान रूप से एकत्रित किए जाएंगे:

परन्तु यह कि राज्य में इस प्रयोजन के लिए अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र में नोडल में अभिकरण होगा यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने के लिए आपस में सहमत हों । अपने-अपने संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र केन्द्र की ओर से राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से बाजार प्रचालन प्रभार एकत्रित करेंगे तथा उन्हें संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में जमा करेंगे ।

24. **रजिस्ट्रीकरण फीस:** (1) ऐसे सभी उपयोक्ताओं, जिनकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है, इन विनियमों के परिशिष्ट 4 में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूपों में आवेदन फाइल करके संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ दस लाख रूपए की एक समय फीस संलग्न की जाएगी ।

(3) विद्यमान उपयोक्ता इन विनियमों के प्रवृत्त होने के एक मास के भीतर 10 लाख रूपए की फीस के साथ आवेदन फाइल करके संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में अपने आपको रजिस्टर करेंगे ।

(4) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र आवेदन की संवीक्षा तथा आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता पर अपना समाधान हो जाने के पश्चात अपनी स्वीकृति के बारे में आवेदक को सम्यक् रूप से सूचित करते हुए आवेदक को अपने रजिस्टर में रजिस्टर करेगा ।

(5) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं की सूची को बनाए रखेगा ।

25. **राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चे:** (1) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा कारपोरेट कार्यालय के सभी खर्चों को अपने-अपने क्षेत्र में की गई मांग के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रभाजित किए जाएंगे ।

(2) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र रजिस्ट्रीकरण प्रयोजन के लिए प्रत्येक पावर एक्सचेंज से एक मुश्त रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में 20 लाख रूपए की रकम एकत्रित करेगा ।

अध्याय-5

बिलिंग तथा अन्य प्रकीर्ण उपबंध

26. **प्रभारों की बिलिंग तथा संदाय**: (1) इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा मासिक आधार पर प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभार के लिए मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत किए जाएंगे तथा बिलों का संदाय उपयोक्ता द्वारा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को प्रत्यक्षतः किए जाएंगे ।

(2) आर एल डी सी/एनएलडीसी फीस प्रभारों के संदाय में लगातार व्यतिक्रम को आयोग की जानकारी में लाया जाएगा ।

27. **विलंब से संदाय पर अधिभार**: इन विनियमों के अधीन संदेय प्रभारों के लिए यदि किसी बिल के संदाय में किसी उपयोक्ता द्वारा, बिलिंग की तारीख से 60 से अधिक अवधि का विलंब किया जाता है, तो प्रणाली प्रचालक द्वारा 1.25% की दर से विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।

28. **छूट**: प्रत्यय पत्र के माध्यम से बिलों का संदाय करने पर 2% की छूट अनुज्ञात की जाएगी । जहां बिल प्रस्तुत किए जाने के एक मास के भीतर प्रत्यय पत्र से भिन्न रीति में संदाय किया जाता है, वहां 1% की छूट अनुज्ञात दी जाएगी ।

29. **शिथिल करने की शक्ति**-: आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा ऐसे शिथिलीकरण से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लिखित में कारण दर्शाते हुए, शिथिल कर सकेगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

परिशिष्ट - 1

टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (एनएलडीसी/आरएलडीसी)

अनुक्रमणिका

एनएलडीसी/आरएलडीसी के लिए टैरिफ फाइल करने के वाले प्ररूप और अन्य जानकारी/दस्तावेजों की जांच-सूची

प्ररूप सं.	टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (आरएलडीसी)	टिक
प्ररूप-1	सारांश शीट	
प्ररूप-2	टैरिफ की संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर	
प्ररूप-3	विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश	
प्ररूप-4क	प्राक्कलित पूंजी लागत का सारांश और नई परियोजना को स्थापित करने की अनुसूची	
प्ररूप-4ख	पूंजी लागत के तत्ववार ब्यौरे	
प्ररूप-4ग	संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों के ब्यौरे	
प्ररूप-4घ	सीओडी तक वित्तीय पैकेज	
प्ररूप-4ङ	सीओडी के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण	
प्ररूप-4च	पूंजी लागत का विवरण	
प्ररूप-4छ	चालू पूंजी संकर्म का विवरण	
प्ररूप-4ज	अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण	
प्ररूप-4झ	विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे	
प्ररूप-5क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-5ख	वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना	
प्ररूप-5ग	विदेशी ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-5घ	परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-5ङ	विभिन्न आरएलडीसी को कारपोरेट ऋण के आबंटन के ब्यौरे	
प्ररूप-6क	अवक्षयण का विवरण	
प्ररूप-6ख	अवक्षयण दर की संगणना	
प्ररूप-7क	प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे	
प्ररूप-7ख	मानव संसाधन के ब्यौरे	
प्ररूप-7ग	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-7घ	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-8	कामकाज पूंजी पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-9	आईडीसी और वित्तीय प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची	
प्ररूप-10	वास्तविक नकद व्यय	

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.सं.	जानकारी/दरतावेज	टिक
1.	समामेलन का प्रमाणपत्र, कारबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र, संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद (के.वि.वि.आ. को पहली बार टैरिफ के लिए आवेदन करने वाली कंपनी द्वारा स्थापित नए केन्द्रों के लिए)	
2.	नई पारेषण प्रणाली और सुसंगत वर्षों के लिए सभी अनुसूचियों और परिशिष्टियों सहित केन्द्र-वार और कारपोरेट संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे	
3.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियां	
4.	पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां	
5.	विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां	
6.	फायदाग्रहियों, यदि कोई हों, के साथ बी.पी.टी.ए./टीएसए की प्रतियां	
7.	समय और अधिक लागत, यदि लागू हो को देने वाले कारणों का ब्यौरे-वार टिप्पण	
8.	कोई अन्य जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण : याचिका की इलैक्ट्रानिक प्रति (फारमेट शब्दों में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी सी.डी/फ्लापी डिस्क के रूप में भी प्रस्तुत की जाएगी ।

प्ररूप- 1

सारांश शीट

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां		विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5	6	7	8
1	रिर्टन आन ईक्विटी[1]							
2	ऋण पूंजी पर ब्याज							
3	अवक्षयण							
4	प्रचालन और रख-रखाव व्यय मानव संसाधन को छोड़कर							
5	मानव संसाधन खर्चे							
6	एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चे							
7	कामकाज पूंजी पर ब्याज							
	कुल							

1 सगंणना के ब्यौरे विनियम के अनुसार विचार किए गए इक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 2

टैरिफ की संगणना करने के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

			मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष				
विशिष्टियां	**यूनिट**	**यथा विद्यमान**					
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8)
ईक्विटी पर रिट्रर्न की आधार दर	%						
कर दर	%						
कामकाज पूंजी के लिए मास में प्राप्य	मास में						
कामकाज पूंजी के लिए मास में ओएंडएम खर्चे मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर	मास में						
कामकाज पूंजी के लिए मानव संसाधन खर्चे	मास में						
कामकाज पूंजी के लिए एनएलडीसी प्रभार	मास में						
..... [1] को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य उधार दर	%						

1 कृपया सुसंगत तारीख का उल्लेख करें ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 3

विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

के.वि.वि.आ. द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत	
..... को स्वीकृत पूंजी लागत	
(के.वि.वि.आ. के सुसंगत आदेश का याचिका सं. और तारीख सहित संदर्भ दें)	
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए हेजिंग लागत, यदि कोई हो,	
स्वीकृत कुल पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)	
	याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4क

नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
नई परियोजनाएँ
प्राक्कलित पूंजी लागत

प्राक्कलित पूंजी लागत को अनुमोदित करने वाला निदेशक बोर्ड/अभिकरण		
प्राक्कलित पूंजी लागत के अनुमोदन की तारीख		
	वर्तमान दिन लागत	संपूर्ण लागत
अनुमोदित प्राक्कलन की कीमत स्तर	.... वर्ष ... तिमाही की समाप्ति के अनुसार	केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार
पूंजी लागत प्राक्कलित के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर		
पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी है(रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)		
विचार किए गए करों और शुल्कों की दर		
पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी है		

विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड में)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी तथा एफसी भी हैं(रूपए करोड़ में)		
लगाए जाने की अनुसूची		
.....		
.....		
अंतिम यूनिट/ब्लाक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		

टिप्पण :

1. अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।
2. पूंजी लागत के ब्यौरे यथालागू प्ररूप 4ख या 4ग के अनुसार दिए जाने हैं ।
3. आईडीसी और वित्तीय प्रभारों के ब्यौरे प्ररूप 9 के अनुसार दिए जाने हैं ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4ख

पूंजी लागत का तत्ववार ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रूपए करोड़ में)

क्रम सं.	ब्रेक डाउन	मूल प्राक्कलन के अनुसार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वास्तविक पूंजी	दायित्व/ उपबंध	परिवर्तन (3-4-5)	परिवर्तन के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क.	**प्रारंभिक संकर्म तथा भूमि**					
1.1	डिजाइन तथा इंजीनियरिंग					
1.2	भूमि					
1.3	स्थल तैयारी					
ख.	**सिविल संकर्म**					
2.1	नियंत्रण कक्ष तथा कार्यालय भवन जिसमें एचवीएसी भी है					
2.2	टाउनशिप तथा कालोनी					
2.3	सड़कें तथा जल निकासी					
2.4	संरचना के लिए नींव					
2.5	प्रकीर्ण सिविल संकर्म					
2.0	**कुल सिविल संकर्म**					
ग.	**उपस्कर**					
3.1						
3.2						
3.3						
3.0	**कुल उपस्कर**					
घ.	**पुर्जे**					
4.1						
4.2						
4.3						
4.0	**कुल पुर्जे**					
ङ.	**कर और शुल्क**					
5.1	सीमा-शुल्क					
5.2	अन्य कर और शुल्क					
5.0	**कुल कर और शुल्क**					

च.	**संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय**					
6.1	स्थल पर्यवेक्षण					
6.2	औजार और संयंत्र					
6.3	संनिर्माण बीमा					
6.0	**कुल संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय**					
छ.	**मुख्य शीर्ष**					
7.1	स्थापना					
7.2	संपरीक्षा और लेखा					
7.3	आकस्मिकता					
7.0	**कुल मुख्य शीर्ष**					
8.0	**पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर**					
ज.	**आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत**					
9.1	संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)					
9.2	वित्तीय प्रभार (एफसी)					
9.3	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी)					
9.4	हेजिंग लागत					
9.0	**आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत का योग**					
10.0	**पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत भी है**					

टिप्पण :

1. अधिक समय और लागत लगने की दशा में, ऐसे अधिक समय और लागत के कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी अभिकरण को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए और चाहे अधिक समय और लागत उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे हों ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4ग

संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेज का ब्यौरा

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

क्रम स.	नाम/संनिर्माण सं. प्रदाय/ सेवा पैकेज	कार्य की परिधि[1] (यथा लागू लागत के शीर्ष के आधार पर)	क्या आईसीबी/ डीसीबी /विभागीय /निक्षेप कार्य के माध्यम से प्रदान किया गया है	प्राप्त बोली की संख्या	प्रदान करने की तारीख	कार्य आरंभ करने की तारीख	कार्य पूरा करने की तारीख	कार्य का मूल्य[2] (रूपए करोड में)	कीमत मे फर्म या वृद्धि सहित	पूरा होने या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, जो भी पहले हो, तक वास्तविक व्यय (रूपए करोड मे)	कर तथा शुल्क और आईईडीसी	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत	उप-योग

1 किसी भी पैकेज में कार्य की परिधि संभावित सीमा तक प्ररूप 5ख में कोयला/लिग्नाइट आधारित संयंत्र के लिए पूंजी लागत ब्यौरो की पुष्टि मे उपदर्शित की जानी चाहिए । गैस/द्रव ईंधन आधारित परियोजना की दशा में, सुसंगत शीर्षों में उसी रीति ब्रेक डाउन प्ररूप 5ग के अनुसार होगा ।

2 यदि यहा कोई ऐसा पैकेज हो, जिसे भारतीय रूपए और विदेशी मुद्रा में दर्शित किया जाना है, तो उसे पृथक रूप से : मुद्रा, विनिमय दर और तारीख, अर्थात् 4.1.2009 को यूएस $= 48 रूपए पर 80 करोड रुपए +यूएस $+ 50एम = 320 करोड रुपए के साथ दर्शित किया जाना चाहिए ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4घ

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्तीय पैकेज

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
वा.प्र. की तारीख को परियोजना लागत[1]
वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख[2]

(रूपए लाखों में)

	यथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को यथास्वीकृत	
	मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]	
1	2	3	4	5	6	7
ऋण - 1	यूएस $	200एम				
ऋण - 2						
ऋण - 3						
और उससे आगे						
ईक्विटी						
विदेशी						
घरेलू						
कुल ईक्विटी						
उधार : ईक्विटी अनुपात						

1 अर्थात् यूएस $ 200 मि. + 400 करोड रुपए या यूएस $ = 48 रु. की विनिमय दर पर 1360 करोड रुपए जिसमे यूएस $ 200मि. भी है।
2 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अंतिम यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन अभिप्रेत है ।
3 उदाहरणार्थ : यूएस $ 200मि. आदि ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 4ङ

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम : ....

क्रम सं.	वर्ष	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित कार्य/ उपस्कर	पूंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम	प्रस्ताव के अनुसार न्यायोचित	वह विनियम जिसके अधीन सम्मिलित है	स्वीकृत लागत[1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	कुल					

[1] यदि परियोजना पूरी कर दी गई है तथा पहले कोई टैरिफ अधिसूचना **जारी कर दी गई है** तो (प्राधिकारी का नाम) द्वारा पहले ही जारी टैरिफ अधिसूचना के प्रयोजन के लिए यथार्थी**कृत लागत देते हुए** स्तंभ 7 भरें (टैरिफ आदेश की प्रति संलग्न करें)

टिप्पण :

1. प्ररुप को क्रमानुसार वर्षवार भरें जिसमें फायदाग्राहियों की आवश्यकता और प्रोद्भूत लाभ का विस्तृत ब्यौरा स्पष्ट रूप से दर्शित हो ।

2. यदि आरंभिक पुर्जे किसी भी उपस्कर के साथ क्रय किए जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक् रूप से उपदर्शित की जानी चाहिए ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 4च

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

पूंजी लागत का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त अ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
आ	क) अवधि के दौरान अतिरिक्त कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त आ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
इ	क) बहियों के अनुसार अंतिम कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त इ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	

1. सुसंगत तारीख/तारीखों से केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त् होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 4छ

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

चालू पूंजी संकर्म का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी रकम	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
आ	क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में जोड़/समायोजन	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
इ	क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी की नियत आस्ति का पूंजीकरण/अंतरण	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
ई	क) बहियों के अनुसार अंतिम सीडब्ल्यूआईपी रकम	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	

1. सुसंगत तारीखों से यूनिट/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त् होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 4ज

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम : .....

(रुपए लाख में)

	प्रक्षेपित/वास्तविक					स्वीकृत				
वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से आरंभ)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संकर्म/उपस्कर में पूंजीकृत रकम										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण[2]										
ईक्विटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल										

1. वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष है ।

2. अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीकरण को पूरा करने वाले ऋण के ब्यौरे प्ररुप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4झ

विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा विनिमय दर

(रकम लाखों में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
	मुद्रा1[1]												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
ख	मुद्रा2[1]												
1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
	मुद्रा3[1]												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
ख	मुद्रा4[1] और उससे आगे												
1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $ डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।

2 वर्ष के दौरान एक से अधिक कर ईक्विटी इंफ्यूजन की दशा में, प्रत्येक इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 5क

मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - अंतिम						
औसत कुल मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिककर्ता

प्ररुप - 5ख

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना[1]

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
2	3	4	5	6	7	8
ऋण-1						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
ऋण - 2						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
ऋण 3 और उससे आगे						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						

घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
कुल ऋण						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
ऋण पर ब्याज						
ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर						

1. विदेशी ऋण की दशा में, इसे भारतीय रुपए में संगणना करके प्रस्तुत किया जाना है । तथापि, मूल मुद्रा की संगणना इसी प्ररुप में पृथक् रूप से प्रस्तुत की जानी है ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 5ग

विदेशी ऋण के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विनिमय दर
31.3.2009 को विनिमय दर

(रकम लाखों में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ)	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
	मुद्रा1[1]												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख.	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की दर पर												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा2[1]												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												

ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की तारीख												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा3[1] और उससे आगे												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की तारीख												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												

1 मुद्रा का नाग, अर्थात् यूएस $ डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।

2 वर्ष में एक से अधिक निकासी की दशा में, प्रत्येक निकासी की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।

3 वर्ष के दौरान एक से अधिक हेजिंग या भाग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यौरे, प्रत्येक हेजिंग के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं ।

4 यथा लागू (जैसे रोका गया कर) के ब्यौरे, जिसमें कर में परिवर्तन भी सम्मिलित है, वह तारीख जिससे परिवर्तन हुआ है स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाए ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 5घ

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत[1]						
मुद्रा[2]						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,16]						
ब्याज का प्रकार[6]						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]						
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]						
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि[10]						
..... से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि[11]						
..... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि						
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]						
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]						
आधारिक विनिमय दर[16]						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]						

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं ।

5 यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक् रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ।

18 ट्रूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 5ङ

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रूपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ऋण का स्रोत[1]							
मुद्रा[2]							
स्वीकृत ऋण की रकम							
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,15]							
ब्याज का प्रकार[6]							
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो							
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]							
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]							
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें							
विलम्बन अवधि[10]							
..... से प्रभावी विलम्बन अवधि							
प्रतिसंदाय अवधि[11]							
..... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि							
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]							
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]							
आधारिक विनिमय दर[16]							
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है							
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]							
विभिन्न पारेषण तत्वों को ऋण पैकेज का वितरण							
पूर्वी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							

कुल							
पश्चिमी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
उत्तरी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
दक्षिणी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
आरएलडीसी							
कुल							

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण किया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.09 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं ।

5 यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक् रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ।

18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 6क

अवक्षयण का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2000-01 तक[1]	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूंजी लागत का अवक्षयण									
अतिरिक्त पूंजीकरण पर अवक्षयण									
अतिरिक्त पूंजीकरण की रकम									
अवक्षयण रकम									
एफइआरवी के ब्यौरे									
एफईआरवी की वह रकम जिस पर अवक्षयण प्रभारित किया गया है									
अवक्षयण रकम									
वर्ष के दौरान प्राप्त अवक्षयण									
वर्ष के दौरान वसूले गए अवक्षयण के लिए अग्रिम									
वर्ष के दौरान वसूला गया अवक्षयण तथा अग्रिम के लिए अवक्षयण									
वर्ष तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण और अग्रिम के लिए अवक्षयण									

1. यदि 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ का आयोग द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है तो 2004-09 तक टैरिफ में वसूले गए अवक्षयण को उसी प्ररुप में पृथक् रूप से समर्थक ब्यौरों सहित वर्षवार ब्यौरों के साथ दिया जाए ।

2. एफइआरवी तथा एएडी के ब्यौरों की दशा में, लागू अवधि के लिए जानकारी दे ।

याचिककर्ता

प्ररुप - 6ख

अवक्षयण दर की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	आस्तियों का नाम[1]	31.3.2009 को या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को जो भी बाद में हो तथा 31.3.2014 तक तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष के लिए पश्चात्वर्ती कुल ब्लॉक	के वि वि आ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर	31.3.2014 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम
	1	2	3	4 = स्तंभ 2 X 3
1.	भूमि			
2.	भवन			
3.	और उससे आगे			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

24.				
25.				
26.				
	कुल			
	अवक्षयण भारित औसत दर (%)			

1. आस्तियों के नाम अधिसूचना से संलग्न अवक्षयण अनुसूची में उल्लिखित आस्तियों के विवरण के अनुसार होने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 7क

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

	मदें	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
	1	2	3	4	5	6
1	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चे					
2	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चे, आदि					
3	कुल					

टिप्पण : 1 संलग्न प्ररुपों के अनुसार इन व्ययों के ब्यौरे

2. सभी आरएलडीसी, एनएलडीसी तथा कारपोरेट कार्यालय के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 7ख

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

मानव संसाधन खर्चों के ब्यौरे

अवधि

1 पूर्व पांच वर्षों के लिए वास्तविक

2 चालू वर्ष के पहले छह मास के लिए वास्तविक

3 चालू वर्ष के अंतिम छह मास के लिए प्रत्याशित

4 आगामी वर्ष के लिए प्रत्याशित

क्रम सं.	लेखा कोड	विशिष्टियां	कार्यपालक		गैर-कार्यपालक		कुल
			तकनीकी	गैर-तकनीकी	तकनीकी	गैर-तकनीकी	
1	वेतन						
2	अतिकाल भत्ता						
3	महंगाई भत्ता						
4	अन्य भत्ता						
5	बोनस						
6	उत्पादकता लिंक्ड प्रोत्साहन						
7	कुल योग (1 से 6)						
	अन्य कर्मचारिवृंद लागत						
8	चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति						
9	छुट्टी यात्रा रियायत						
10	मकान किराये की प्रतिपूर्ति						
11	कर्मचारिवृंद को अंतिम राहत						
12	अर्जित छुट्टी का भुनाना						

13	मानदेय						
14	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन संदाय						
15	एक्स-ग्रेशिया						
16	बीआरएसआर पर व्यय						
17	कुल योग (8 से 16 तक)						
18	कर्मचारीवृंद कल्याण खर्च						
19	टर्मिनल फायदे						
20	प्रावधान						
21	अन्य विनिर्दिष्ट करें						
22	कुल (7+17+18+19+20+21)						
23	वसूला गया राजस्व, यदि कोई हो						
24	कुल योग (22-23)						
	अतिरिक्त जानकारी						
1	की कर्मचारियों की संख्या						
	(i) कार्यपालक						
	(ii) गैर-कार्यपालक						
	(iii) कुशल						
	(iv) गैर-कुशल						
	कुल						
2	निम्नलिखित के अनुसार कर्मचारियों की संख्या						
	(i) संचालित मेगावाट						
	(ii) संचालित एमकेडब्ल्यूएच						

I) दिए गए शीर्ष के अधीन ओएंडएम खर्चों में 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि को पर्याप्त कारण के साथ बताया जाना चाहिए ।

II) आंकड़े संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर होने चाहिए ।

III) वर्ष 2004-05 की पूर्व अवधि से संबंधित बकायों के ब्यौरे, यदि कोई हों, पृथक् रूप से दर्शित किए जाने चाहिए ।

IV) प्रत्येक वर्ष के दौरान वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को उपदर्शित किया जाना चाहिए ।

V) प्रसामान्य खर्चों के ब्यौरों को, यदि कोई हों, पृथक् रूप से दर्शित किया जाना चाहिए ।

VI) वेतन पुनरीक्षण/बकायों के मद्दे 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कर्मचारी लागत में मासिकवार उपबंध किए जाने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 7ग

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

मरम्मत तथा रखरखाव खर्चे

क. मरम्मत तथा रखरखाव खर्चे

			पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलन
क्रम सं.		विवरण		पहले छह मास के लिए वास्तविक	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	
1.	भंडार तथा पुर्जो की खपत						
2.	भंडार तथा पुर्जो की हानि						
3.	संयंत्र तथा मशीनरी मरम्मत तथा रखरखाव						
4.	सिविल संकर्म मरम्मत तथा रखरखाव						
5.	वार्षिक अनुरक्षण संविदा (4क+4ख +4ग)						
5क.	- संयंत्र तथा मशीनरी						
5ख	- सिविल मरम्मत तथा रखरखाव						
5ग	- अन्य						
6.	अन्य (विनिदिष्ट करें)						
7.	कुल (1+2+3+4 +5+6)						
8.	राजस्व वसूलियां, यदि कोई हों						
9.	कुल योग (7-8)						

ख. मरम्मत तथा रखरखाव खर्चे (विनियम के अनुसार)

विशिष्टियां	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के 1 अप्रैल को स्वीकृत लागत					
मरम्मत तथा रखरखाव खर्चे					
पूंजी लागत की प्रतिशतता के रूप में मरम्मत तथा रखरखाव					

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 7घ

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे

			पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलन
क्रम सं.		विवरण		पहले छह मास के लिए वास्तविक	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	

रुपए लाख में

	संपत्ति से संबंधित खर्चे						
1	अनुज्ञप्ति फीस						
2	किराया						
3	दर तथा कर						
4	बीमा						
5	दुर्घटना आरक्षिति निधि में अंशदान						
6	उप-योग						
	संचार						
7	टेलीफोन तथा ट्रंककाल						
8	पोस्टेज तथा टेलीग्राफ						
9	टेलेक्स, टेलीप्रिंटर प्रभार तथा टेली फैक्स						
10	कूरियर प्रभार						
11	अन्य						

12	उपयोग						
	वृत्तिक प्रभार						
13	विधिक खर्चे						
14	परामर्शी प्रभार						
15	तकनीकी फीस						
16	संपरीक्षा फीस						
17	अन्य प्रभार						
18	उप-योग						
	सवारी तथा यात्रा						
19	सवारी खर्चे						
20	यात्रा खर्चे						
21	वाहन किराया प्रभार						
22	अन्य						
23	उपयोग						
	अन्य खर्चे						
24	विद्युत प्रभार						
25	फीस तथा अंशदान						
26	पुस्तकें तथा आवधिक पत्रिकाएं						
27	मुद्रण तथा स्टेशनरी						
28	विज्ञापन						
29	मनोरंजन						
30	देखरेख						
31	प्रकीर्ण						
32	संगठनात्मक विकास खर्चे						
33	संदान						
34	प्रशिक्षण						

35	उप-योग						
	सामग्री संबंधित खर्चे						
36	डेमरेज तथा घाट सामग्री						
37	सफाई प्रभार						
38	परिवहन बीमा						
39	**उपयोग**						
40	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
41	**कुल (6+12+18+ 23+35+39+40)**						
42	राजस्व वसूलियां, यदि कोई हों						
43	**कुल योग (41-42)**						

याचिकाकर्ता

प्ररुप - 8

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ओएंडएम खर्चे, मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर						
2.	मानव संसाधन खर्चे						
3.	एनएलडीसी प्रभार						
4.	प्राप्य						
5.	कुल कार्यकरण पूंजी						
6.	ब्याज की दर						
7.	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

प्रकप 9

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम ....

आईडीसी और वित्त प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	ड्रा डाउन	क्वार्टर 1			क्वार्टर 2			क्वार्टर 3		
	विशिष्टियां	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.3	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									

	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.4	—									
	—									
	—									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.2	भारतीय ऋण									
1.2.1	भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आईडीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	वित्त प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2.2	भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आईडीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	वित्त प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2.3	भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आईडीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	वित्त प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	डॉ डाउन रकम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आईडीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	वित्त प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									
2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1. ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप आधार पर की जाएगी । शुरू में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है ।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर, जिसमें पुनः नियत तारीख भी है, को पृथक् रूप से दिया जाएगा ।

3. बहु-एकक परियोजना की दशा में, प्रयुक्त पूंजीकरण के ब्यौरों को दिया जाना है ।

प्राधिकारी

प्ररुप -10

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम .....

वास्तविक नकद व्यय

	क्वार्टर-1	क्वार्टर-2	क्वार्टर-3	क्वार्टर-एन (सीओडी)
ठेकेदार/फायदाग्राहियों को संदाय				
नियोजित निधि का %				

टिप्पण : यदि संदाय तथा नियोजित निधि के बीच कोई अंतर होता है तो औचित्य प्रदान करें ।

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट - 2

[विनियम 7 के खंड (7) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु]

(कंपनी का नाम) (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता .....)	} स्पष्ट अक्षरों में

1. ऊपर नामित आवेदक ने (उत्पादन केंद्र/पारेषण प्रणाली का ना दें) के टैरिफ के अवधारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है ।

2. एनएलडीसी/आरएलडीसी के उपयोक्ता निम्नलिखित हैं :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

3. परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रुपए लाख में) -

मूल :

अंतिम (पुनरीक्षित) :

4. वह प्राधिकारी जिसने पूंजी लागत अनुमोदित की है :

5. वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख

मूल :

अंतिम (पुनरीक्षित) :

6. वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख :

7. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पूंजी लागत (लाख रुपए में) :

8. टैरिफ के ब्यौरे (लागू भाग को ही प्रकाशित करें)

(रुपए लाख में)

	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	अवधारित किए जाने के लिए वर्षवार टैरिफ					
		पूर्व वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1. आरएलडीसी							
2. एनएलडीसी							

9. टैरिफ के अवधारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति वेबसाइट (यहां वेबसाइट का पता दें) पर रख दी गई है ।

10. आवेदन में अंतर्विष्ट टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव संबंधी सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आवेदक को उसकी प्रति देते हुए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110001 के समक्ष फाइल की जा सकेगी ।

स्थान :
तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम और पदनाम

परिशिष्ट - 3

अवक्षयण अनुसूची

क्रम सं.	आस्ति की विशिष्टियां	अवक्षयण दर (सालवेज मूल्य = 10%)
		एसएलएम
अ.	**पूर्ण स्वामित्व में भूमि**	0.00%
आ.	**पट्टे पर ली गई भूमि**	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	क्लीरिंग स्थल की लागत	3.34%
क	**अन्य आस्तियां**	
(क)	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
(i)	कार्यालय एवं शोरुम	3.34%
(ii)	अंतर्विष्ट संयंत्र तथा मशीनरी	3.34%
(iii)	लकड़ी से बने अस्थाई खड़ी संरचना	100.00%
(iv)	कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें	3.34%
(v)	अन्य	3.34%
ख	**ट्रांसफार्मर्स, कियोस्क उप-स्टेशन उपकरण एवं अन्य नियत साधित्र (संयंत्र नींव सहित)**	
(i)	ट्रांसफार्मर नींव सहित 100 कि. वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
ग	**स्विचगियर, केबल कनेक्शन सहित**	5.28%
घ	**लाइटनिंग अरेस्टर**	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेंसर	5.28%

ङ	**बैटरी**	5.28%
(i)	ज्वाइन्ट बॉक्स तथा डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
च	**सपोर्ट सहित आवर हेड लाइन**	
(i)	66 के.वी. से अधिक के नामिनल वोल्टेज पर फैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन पर लाइनें	5.28%
(ii)	13.2 कि. वाट से अधिक, लेकिन 66 किलोवाट से अधिक नहीं, नामिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	5.28%
(iii)	स्टील या इन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स लाइनें	5.28%
(iv)	शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाइने	5.28%
छ	**मीटर**	5.28%
ज	**सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल**	9.50%
झ	**वातानुकूलित संयंत्र**	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
ञ	**कार्यालय फर्नीचर एवं साज-सज्जा**	6.33%
(ii)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(iii)	फिटिंग एवं साधित्रों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइन की फिटिंगें	5.28%
ट	**किराये पर लिए गए उपस्कर**	
(i)	मोटर के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
ठ	**संचार उपकरण**	
(i)	रेडियो एवं उच्च बारम्बारता कैरियर प्रणाली	6.33%

(ii)	टेलीफोन लाइन एवं टेलीफोन	6.33%
ड	**सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर**	15.00%
ढ.	**साफ्टवेयर**	30.00%
ण	**कोई अन्य आस्ति जो उपरोक्त सम्मिलित नहीं है**	5.28%

परिशिष्ट - 4

(विनियम 24 के खंड 1 के अनुपालन में)

1. **ईकाई का नाम** (बड़े अक्षरों में) :
2. **रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता :**
3. **वह क्षेत्र जिसमें रजिस्ट्रीकरण की वांछा की गई है :**
   - i. उत्तर-पूर्वी
   - ii. उत्तर
   - iii. पूर्व
   - iv. पश्चिम
   - v. दक्षिण
4. **उपयोक्त प्रवर्ग**
   - i. उत्पादन केंद्र
   - ii. विक्रेता
   - iii क्रेता
   - iv. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
   - v. वितरण अनुज्ञप्तिधारी
5. **उपयोक्ता ब्यौरे** (अंतिम वित्तीय वर्ष के 31वें मार्च को) :
   - i. **प्रवर्ग - उत्पादन केंद्र**
     - i. कुल संस्थापित क्षमता
     - ii. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
     - iii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान :

क्रम सं.	संयोजन का स्थान	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों की संख्या

ii. प्रवर्ग - विक्रेता/क्रेता/वितरण अनुज्ञप्तिधारी

i. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)

ii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान :

क्रम सं.	संयोजन का स्थान	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों की संख्या

iii. प्रवर्ग - पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (अंतर-राज्यिक)

i. सब स्टेशन :

क्रम सं.	सब-स्टेशन का नाम	ट्रांसफार्मरों की संख्या	कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता या डिजाइन एमवीए हैंडलिंग क्षमता यदि स्विचिंग स्टेशन

ii. पारेषण लाइन :

क्रम सं.	वोल्टेज स्तर (केवी)	पारेषण लाइनों की संख्या	कुल सर्किट किलोमीटर

6. आरएलडीसी/एनएलडीसी से संबंधित मीटरों के लिए उस व्यक्ति के ब्यौरे जिससे संपर्क किया जाना है :

i. नाम
ii. पदनाम
iii. टेलीफोन सं.
iv. मोबाइल संख्या
v. ई-मेल पता
vi. पोस्टल पता

उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान :
तारीख :

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम :
संपर्क संख्या :